ब्रांच सेक्रेटरी के चुनाव हेतु निर्देश

सेवा निवृत्त होने वाला ब्रंच सेक्रेटरी या सभा द्वारा ब्रांच सेक्रेटरी के चुनाव की व्यवस्था करने हेतु नियुक्त किये गया व्यक्ति चुनाव करवाने हेतु निम्नलिखित कार्य–प्रणाली का अनुपालन करेगाः–

1. रीजनल प्रेसिडेंट चुनाव मीटिंग के लिये ऐसे व्यक्ति को प्रेक्षक (Observer) नियुक्त करेंगे जो ब्रांच का सदस्य न हो, किन्तु रीजन का उपदेश प्राप्त सतसंगी हो।
2. उपरोक्त ब्रांच सेक्रेटरी चुनाव करवाने के लिये मीटिंग आहूत करेगा जिसकी तिथि, समय और स्थान प्रेक्षक से विचार –विमर्श करने के पश्चात् निर्धारित की जायेगी। ब्रांच के सभी सदस्यों को लिखित में कम – से – कम 60 दिनों का नोटिस दिया जायेगा,जिसमें मीटिंग की तिथि, समय,स्थान और उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख हो।

2.1 **चुनाव सभा की तिथि व समय की सूचना सदस्यों को देने के लिये ब्रांच सेक्रेटरी दो क्रमिक साप्ताहिक सतसंग में घोषणा करें । जिन सदस्यों को मीटिंग के बारे में सूचित न कर सकें या व्यक्तिगत रूप से संपर्क न कर सकें, उनकी एक सूची तैयार करें । प्रत्येक ऐसे सदस्य को एक पोस्टकार्ड डाक द्वारा इस निवेदन के साथ भेजें कि वे लौटती डाक से इसके प्राप्त होने की सूचना दें। जिन सदस्यों को लिखित निर्देश डाक द्वारा भेजे गये हैं, उनकी सूची ब्रांच सेक्रेटरी और ब्रांच के एक वरिष्ठ सतसंगी द्वारा इस आशय के साथ प्रमाणित किये जायें कि उन्होंने सवयं निजी रूप से अपनी निगरानी में पोस्टकार्ड स्थानीय पोस्ट ऑफिस के अधिकृत पोस्ट बॉक्स में डलवाये हैं।**

3. उपरोक्त ब्रांच सेक्रेटरी , ब्रांच से संलग्न सेंटर/सेंटरों के इंचार्ज को चुनाव की मीटिंग की तिथि, समय और स्थान के संबंध में अवगत करायेंगे और सेंटर इंचार्ज सेंटर के सदस्यों को उपरोक्त पैराग्रफ में उल्लिखित विधि से सूचित करेंगे। सेंटर के सदस्यों को नाम प्रस्तावित करने और मत देने का अधिकार होगा किन्तु वह स्वयं ब्रांच सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते।
4. प्रेक्षक के अतिरिक्त केवल ब्रांच और संबंधित सेंटर के सदस्य ही मीटिंग में उपस्थित होंगे, अन्य कोई नहीं। चुनाव की कार्यवाही का संचालन करने हेतु अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा जो ब्रांच सेक्रेटरी या ब्रांच सेक्रेटरी पद का उम्मीदवार (Candidate) न हो।

   सर्वप्रथम उपरोक्त ब्रांच सेक्रेटरी अध्यक्ष (Chairperson) पद के लिए नामांकन आमंत्रित करेंगे और उसे प्रस्तावित वअनुमोदित करायेंगे। नामांकित व्यक्ति, यदि चाहें, तो अपना नाम वापिस ले सकते हैं। यदि एक ही व्यक्ति का नामांकन हुआ है तो उसे अध्यक्ष घोषित कर दिया जायेगा अन्यथा हाथ उठाकर मतगणना की जायेगी

और अधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित कर दिया जायेगा। बाद की कार्यवाही निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा ही संचलित की जायेगी।

5. अध्यक्ष पहले यह सुनिश्चि करेगा कि मीटिंग में निर्धारित कोरम पूरा है (यह कोरम ब्रांच और संबद्व सेंटरों के कुल सदस्यों की संख्या का 50 प्रतिशत होना चाहिये)। जिसकी पुष्टि हेतु उपस्थित सदस्यों की गिनती की जायेगी और इसकी ब्राच और संबंद्व सेंटर की कुल सूचीबद्व सदस्यों की संख्या के संदर्भ में जॉच की जायेगी। यदि कोरम पूरा नहीं होता तो मीटिंग स्थगित कर दी जायेगी। उपरोक्त ब्रांच सेक्रेटरी प्रेक्षक से परामर्श करने के पश्चात् नयी मीटिंग की तिथि, समय और स्थान के संबंध में घोषणा करेगा और बताये गये दिनांक और समय पर पुनः मीटिंग की जायेगी। स्थगित मीटिंग के लिये कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

6.1 अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को मीटिंग का उद्येश्य और चुनाव की विधि समझायेंगे और और ब्रांच सेक्रेटरी के पद हेतु नामांकन व अनुमोदित करेंगे जिसे उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित व अनुमोदित किया जायेगा।

6.2 ब्रांच सेक्रेटरी के पद के लिये प्रस्तावित उम्मीदवार कम–से –कम 3 वर्ष का उपदेश प्राप्त सतसंगी हो और जहां तक हो निर्वाचन की तिथि को 60 वर्ष से कम आयु का हो और यह वांछनीय है कि उसका पति/पत्नी भी उपदेश प्राप्त सतसंगी हो।

6.3 **सामान्यतः ब्रांच सेक्रेटरी के पद के लिये प्रस्तावित व्यक्ति ब्रांच से 30 कि.मी. की परिधि में या गाड़ी से एक घंटे में तय की जा सकने वाली दूरी पर रहने वाला होना चाहिये। यदि ऐसा न हो तो रीजनल प्रेसीडेंट को ब्रांच सेक्रेटरी के रूप में ऐसे प्रार्थी की सिफारिश करने का उचित कारण बताते हुए स्पश्टीकरण देना चाहिये।**

6.4 मीटिंग में उपस्थित लोगों के नाम ही प्रस्तावित करने चाहियें ।

7. यदि ब्रांच के सदस्यों की संख्या 50 से कम हो तो दो व्यक्तियों,यदि सदस्यों की संख्या 50 या 50 से अधिक हो तो तीन व्यक्तियों को चुनाव करके पैनल में समावेश किया जायेगा। इसलिये यह आवश्यक है कि ब्रांच में सदस्यों की संख्या 50 से कम या 50 से अधिक होने, पर 2–3 व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित किये जायें।

8. उम्मीदवार अगर चाहें तो अपना नाम वापिस ले सकते है जिसके लिये उन्हें 15 मिनट का समय दिया जायेगा । इसके पश्चात् अध्यक्ष उम्मीदवारों का नाम रिकॉर्ड में दर्ज करेगा और मत डालने की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा।

9. मतदान की प्रक्रिया– चुनाव में गुप्त मतदान होगा। सभी उम्मीदवार के नाम वर्णमाला के क्रम में लिखे जायेंगे। मतदाताओं को पर्ची दी जायेगी, जिसमें वे जिस उम्मीदवार को मत देना चाहते हैं उसका क्रमांक लिखेंगे। ब्रांच का प्रत्येक पंजीकृत सदस्य एक अहस्तांतरणीय (Non-transferable) मत दे सकता है। अध्यक्ष,प्रेक्षक की

उपस्थिति में मतों की गिनती करायेगा। प्रत्येक उम्मीदवार का नाम प्राप्त किये गये मतों के विवरण सहित निर्धारित प्रपत्र में अवरोही क्रम में लिखा जायेगा।

10. ब्रांच सेक्रेटरी का कार्यकाल 5 वर्ष के अवधि के लिए होता है।

10.1 कोई भी व्यक्ति ब्रांच सेक्रेटरी केपद पर लगातार दो सत्रों तक रह सकता है,सामान्यतः उन्हें ब्रांच सेक्रेटरी के पद हेतु क्रमशः तीसरो बार खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। एक व्यक्ति जो 2 अवधियों तक (चाहे पूर्ण या आंशिक) कार्यरत रहा हो उसे पूरी एक अवधि के अन्तराल के पश्चात् तीसरे चुनाव में खड़े होने की अनुमति होगी, पर किसी भी स्थिति में कोई भी प्रार्थी 15 वर्षो से अधिक यह कार्य नहीं कर सकता है ।

10.2 एक व्यक्ति जिसने दो पूरी अवधि और आंशिक अवधि के लिये यह सेवा कार्य किया हो ,वह पुनः ब्रांच सेक्रेटरी के पद के लिये खड़ा नहीं हो सकता।

11. <u>कार्यवाही का अभिलेख–</u> अध्यक्ष मीटिंग की कार्यवाही को सभा द्वारा प्रेषित किये गये निर्धारित प्रपत्र पर दर्ज करेगा। अध्यक्ष, प्रेक्षक की उपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर करवायेगा और प्रेक्षक के द्वारा हस्ताक्षरयुक्त सूची कार्यवाही के साथ संलग्न करके अध्यक्ष उसे प्रेसीडेंट, रीजनल राधास्वामी सतसंग एसोसिएशन के माध्यम से सेक्रेटरी,राधास्वामी सतसंग सभा, दयालबाग को अग्रसारित करेगा। प्रेक्षक अपनी रिपोर्ट सीधे रीजनल प्रेसीडेंट को यह प्रमाणित करते हुए भेजेगें कि चुनाव दिशा – निर्देशों के अनुरूप कराये गये हैं।

12. रीजनल प्रेसिडेंट अपनी रिपोर्ट लिखेगें कि पैनल में से किस उम्मीदवार को वे ब्रांच सेक्रेटरी पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैऔर अपनी सिफारिश के साथ चुनाव कार्यवाही की रिपोर्ट सेक्रेटरी, राधास्वामी सतसंग सभ,ा दयालबाग को भेजेगें।

सेक्रेटरी
राधास्वामी सतसंग सभा,